Arbitration वाद सं0–89/2019
श्री यशवंत कुमार शुक्ला
बनाम
राज्य सरकार एवं अन्य
आदेश/अवार्ड

अनुसूची 14–फारम सं0–563

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
08.05.2023	प्रस्तुत Arbitration वाद श्री यशवंत कुमार शुक्ला, पिता–स्व0 चन्द्रिका शुक्ला, ग्रा0+पो0+थाना–चिरौत, अंचल–पुपड़ी, जिला–सीतामढ़ी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–527 C अन्तर्गत अधिग्रहित जमीन (खाता सं0–799 के क्रमशः खेसरा सं0–1477, 14757, 14758, 14719, 14720, 14715, 23145, 23146, 21148) के उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के विरूद्व दायर किया गया है। दिनांक–18.04.2023 को जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के विद्वान अधिवक्ता से प्राप्त प्रतिवेदन वादी को हस्तगत कराया गया तत्पश्चात् सुनवाई प्रारंभ की गयी। वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अधिग्रहित जमीन का मूल्यांकन भीठ–02 के अनुरूप करते हुए रू0–15,000/– प्रति डी0 की दर से मुआवजा निर्धारित किया गया, जो वर्तमान बाजार मूल्य से काफी कम है। उनका (वादी) दावा है कि अधिग्रहित जमीन प्रधानमंत्री सड़क से 50मी0 की दूरी पर अवस्थित है, जिसके बगल में School एवं FCI, गोदाम जैसे व्यवसायिक प्रतिष्ठान अधिष्ठापित है इसलिए वादी का माँग है कि प्रश्नगत अधिग्रहित भूमि को भीठ–01 के रूप में वर्गीकृत करते हुए वर्तमान न्यूनतम मूल्यांकन दर रू0–27,000/–प्रति डी0 के आधार पर मुआवजा निर्धारित कर भुगतान किया जाए। सक्षम प्राधिकार–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा वादी के वाद पत्र के प्रत्युत्तर में अपने कार्यालय के पत्रांक–255 दिनांक–16.03.2023 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, कि प्रश्नगत अधिग्रहित भूमि का 3D गजट प्रकाशन के	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	अनुरूप भीठ–02 मानते हुए भूमि का मूल्यांकन किया गया है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि 3A अधिसूचना के समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अंदर प्रश्नगत भूमि के वर्गीकरण (किस्म पुर्ननिर्धारण) के संबंध में वादी द्वारा दावा आपत्ति समर्पित नहीं किया गया फलतः राजस्व अभिलेख मे ंदर्ज प्रकृति के अनुसार भूमि का मूल्यांकन कर मुआवजा निर्धारित किया गया है। दिनांक–18.04.2023 को सुनवाई के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित अभिकथन समर्पित करते हुए उल्लेख किया है कि NHAI Act-1956 की धारा–3G (5) के अधीन वादी द्वारा समर्पित वाद पत्र स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि वादी द्वारा भूमि की प्रकृति बदलते हुए मुआवजा निर्धारण/भुगतान की मांग की जा रही है। वादी ने धारा–3A NHAI Act-56 के तहत गजट नोटिफिकेशन सं0–KA 98 (A) दिनांक–12.01.2017 के 21 दिनों के अंदर भी कोई दावा/आपत्ति नहीं किया, जिसके कारण सक्षम प्राधिकार ने अधिसूचना के दिन राजस्व अभिलेख में अंकित श्रेंणी के अनुसार भूमि का मूल्यांकन कर मुआवजा निर्धारित किया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता, NHAI के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, वाद अभिलेख एवं DLAO, सीतामढ़ी से प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि DLAO, सीतामढ़ी द्वारा खतियान में दर्ज भूमि का किस्म भीठ–02 पाते हुए इसका मूल्यांकन किया गया है, जबकि वादी द्वारा भूमि की वर्तमान स्थिति के अनुसार मुआवजे की भुगतान की माँग की जा रही है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि Ministry of Road transport and highways, Government of India (MORTH) के पत्रांक–NH-11011/30/2015-LA दिनांक–28.12.2017 के अनुसार भूमि की प्रकृति 3A अधिसूचना के आधार पर निर्धारित की जाती हैं, जिसका राजस्व अभिलेख खतियान होता है। साथ ही इस संबंध में MORTH के पत्रांक– NH-11011/30/2015-LA दिनांक–28.12.2017 के कंडिका–10 (iii) में उल्लेखित प्रावधान हैः–	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	"Certain undesirable practices have come to notice of the Central Government. These include change in the nature of land or adoption of incorrect classification of land for determination of market value of land. it may be noted that the nature of land has to be taken as recorded in the revenue records on the day of publication of section-3A notification. for instance, if some landowner/interested person has raised a factory building or a commercial building upon the land under acquisition without obtaining the "Change in Land use" from the competent authority prescribed by the State Government, he/she cannot take the benefit of treatment of such land as industrial" or "commercial". जिस आधार पर वादी को मुआवजा का भुगतान किया गया है। अतएव जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा भुगतान संबंधी पारित आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत वाद अस्वीकृत किया जाता है। आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। इस आदेश की प्रति सभी संबंधितों को दी जाए। लेखापित एवं संशोधित आर्बिट्रेटर–सह–आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर। आर्बिट्रेटर–सह–आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।	

WEB COPY NOT OFFICIAL

ज्ञापांक–   दिनांक–

प्रतिलिपिः– जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी/परियोजना निदेशक, NHAI को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– श्री यशवंत कुमार शुक्ला, पिता–स्व0 चन्द्रिका शुक्ला, ग्रा0+पो0+थाना–चिरौत, अंचल–पुपड़ी, जिला–सीतामढ़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

आयुक्त के सचिव,
तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर।

WEB COPY NOT OFFICIAL